बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

103वाँ प्रतिवेदन

(ग्रामीण विकास विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 19.02.24 ई० को सदन में उपस्थापित)।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2. प्राक्कथन	ख
3. प्रतिवेदन	1-5
4. परिशिष्ट	6-29

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1.	श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2.	श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3.	श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4.	श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5.	श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6.	श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7.	श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8.	श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10.	श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1.	श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	निदेशक
3.	श्री अभय शंकर राय	उप-सचिव
4.	श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्रीमती सुषमा	सहायक
6.	श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7.	श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में ग्रामीण विकास विभाग संबंधित द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र तक के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०, श्री विजय कुमार, स०वि०स०, श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री अनिल कुमार, स०वि०स०, श्री गोपाल रविदास, स०वि०स०, श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०, श्रीमती नीतु कुमारी, स०वि०स०, श्रीमती अरूणा देवी, स०वि०स०, सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स०, मोहम्मद इजहार असफी, स०वि०स०, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०, श्री महबूब आलम, स०वि०स०, श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०, श्री भीम कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री पवन कुमार यादव, स०वि०स०, श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०, श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स०, श्री कृष्णनन्दन पासवान, स०वि०स०, श्री अरूण सिंह, स०वि०स० एवं श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 103वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित उपर्युक्त उल्लिखित माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है ।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

ग्रामीण विभाग से संबंधित प्रतिवेदन ।

सतरहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र तक में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित पूछे गए कुल शून्यकाल सूचनाओं की संख्या-58 है । जिसमें से कुल- 30 शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा को प्राप्त हुये है । शून्यकाल समिति की समीक्षा बैठकों में कुल 24 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है । जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक / दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
1.	श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0	अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज एक बड़ा प्रखंड है । लोगों को लम्बी दूरी तय कर प्रखंड कार्यालय आने-जाने एवं एवं निष्पादन की गति धीमी होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इसी प्रखंड के सिमराहा बाजार को नया प्रखंड बनाने की मांग के संबंध में ।	24.03.22	17/22-1746/ 20.04.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1080315, दिनांक-14.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-I
2.	श्री विनय कुमार, स0वि0स0	मेरे विधान सभा क्षेत्र के गुरूआ प्रखंडान्तर्गत गुरूआ पंचायत में अवस्थित सूर्य मंदिर के बगल नयी तालाब जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी है । नयी तालाब का शीघ्र जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराने की मांग के संबंध में ।	08.03.22	07/22-1513/ 04.04.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1509117, दिनांक-17.01.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-II
3.	श्री संजय कुमार सिंह,स0वि0स0	आज अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे प्रदेश की जीविका दीदीयों ने समाज में अपने महत्वपूर्ण योगदान के बल पर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये हैं । जीविका दीदीयों का मानदेय कम से कम 10,000/-(दस हजार) रूपये करने की मांग के संबंध में ।	08.03.22	07/22- 1515/ 04.04.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1016858, दिनांक-21.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-III
4.	श्री अनिल कुमार, स0वि0स0	सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा के बथनाहा ब्लॉक पर 21 पंचायतों का भार है एवं आमजनों को ब्लॉक आने-जाने में काफी दूरी तय करना पड़ता है । सहीथारा पंचायत जो विधान सभा के बीचो-बीच पड़ता है को प्रखंड बनाने की मांग के संबंध में ।	02.12.21	32/21-3496/ 30.12.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1438195, दिनांक-14.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-IV
5.	श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0	मनरेगा में 200 दिन और 600 रूपये मजदूरी लागू करने की मांग के संबंध में ।	09.03.22	08/22-1613/ 18.04.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-968179, दिनांक-01.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-V
6.	श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0	प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों की नियुक्ति वर्ष-2014 में की गयी थी । इसका मानदेय 19,720/-रूपये है, जो इनके अन्य समकक्ष योग्यताधारी से बहुत कम है । अन्य समकक्ष के अनुरूप इनका 50,000/-रूपये वेतनमान निर्धारित करने की मांग के संबंध में ।	31.03.22	24/22-2228/ 13.05.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1035368, दिनांक- 27.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-VI

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक/ दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
7.	श्रीमती नीतू कुमारी, स0वि0स0	भारत सरकार के पत्रांक-j-11011/112015-RE-1 (344831)दिनांक-18.04.16 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न प्रखंडों में B.F.T की संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई है । मनरेगा कार्य में गुणवत्ता हेतु संविदा पर नियुक्त B.F.T को विभागीय दायित्व से अवगत कराने के साथ-साथ नियमित वेतन देने की मांग के संबंध में ।	30.03.22	21/22-1986/ 12.05.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1034413, दिनांक-27.06.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- vii
8.	श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0	नवादा जिले के पकरीबरावाँ प्रखंड मुख्यालय से 12 किलो मीटर दूर सभी शर्तों को पूरा करनेवाला धमौल बाजार को प्रखंड का दर्जा देने की माँग के संबंध में ।	30.03.23	21/22-1985/ 12.05.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1093320, दिनांक-19.07.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- viii
9.	सुश्री श्रेयसी सिंह, स0वि0स0	ग्रामीण क्षेत्रों में निहायत ही गरीब परिवार जिनका नाम आवास सूची में किसी कारण से दर्ज नहीं है, वैसे परिवारों को चिन्हित कर तत्काल प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग के संबंध में ।	28.06.22	28/22-33/ 07.07.2022	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1175789, दिनांक-25.08.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-ix
10.	मोहम्मद इजहार असफी,स0वि0स0	किशनगंज जिलान्तर्गत बरबड़ा हाट से वाया सौंधा कजला मौनी रहमतपाड़ा, जिला मुख्यालय जाने वाली मार्ग में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है । कोचाधामन प्रखंड अन्तर्गत विशनपुर बाजार में भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है । उक्त मार्ग एवं स्थान पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग के संबंध में ।	23.03.21	21/21-1462/ 28.04.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-548138, दिनांक-01.09.2021 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-x
11.	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0	राज्य में जीविका के कैडर का मानदेय 750/-से 3500/-रूपये तक है । इसे बढ़ा कर 5,000/-से 10,000/-किया जाय एवं जीविका समूहों के साथ बैंक लिंकेज 50,000/-है, इसे एक लाख से 5 लाख तक बढ़ाने के संबंध में ।	15.03.21	16/21-1076/ 25.03.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-512907, दिनांक-04.08.2021 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-xi
12.	श्री महबूब आलम,स0वि0स0	कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड की चापाखोर, नलसर, हरकोई, धरमपुर, शिवानन्दपुर, आबादपुर, लगुआ, बेलवा, दासग्राम, शिकारपुर, भवानीपुर पंचायतों की दो लाख की आबादी प्रखंड मुख्यालय से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । पूर्व प्रस्तावित आबादपुर क्षेत्र को प्रखंड घोषित करने के संबंध में ।	23.02.21	03/21-501/ 01.03.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1603440, दिनांक-28.02.2023 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- xii

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक/ दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
13.	श्री विजय कुमार, स0वि0स0	प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड के विकास का नियंत्रण एवं प्रशासनिक अधिकार सहित पंचायतों के विकास कार्य का नोडल पदाधिकारी पूर्व की तरह बहाल करने की माँग के संबंध में ।	19.12.22	34/22-170/ 12.01.2023	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1827230, दिनांक-09.06.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XIII
14.	श्री विजय कुमार खेमका,स0वि0स0	पूर्णियाँ जिला में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लक्ष्य से काफी कम है । जबकि मार्च, 21 तक आवास निर्माण कर गृह प्रवेश करने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित है । पूर्णियाँ जिला में आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करने हेतु मिशन गृह प्रवेश की तिथि विस्तार करने की मांग के संबंध में ।	15.03.21	16/21-1077/ 25.03.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-457858, दिनांक-04.06.21 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XIV
15.	श्री भीम कुमार सिंह,स0वि0स0	औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज, गोह, इसपुरा, ओबरा एवं औरंगाबाद प्रखंडों को पुनर्गठित करते हुए पौथू प्रखंड के गठन का प्रस्ताव 2010 में जिला से सरकार को भेजा गया । जो आज तक लंबित है । प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पौथू प्रखंड का गठन करने के संबंध में ।	19.03.21	20/21-1301/ 09.04.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1826972 दिनांक-08.06.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XV
16.	श्री पवन कुमार यादव,स0वि0स0	भागलपुर जिलान्तर्गत सनौला प्रखंड की भौगोलिक बनावट के अनुसार सनोखर, इस प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र का एक विकसित बाजार है और प्रखंड बनने की अर्हता रखता है । जबकि पूर्व में तत्कालीन सरकार द्वारा घोषणा किया गया था । सनोखर को प्रखंड बनाने की माँग के संबंध में	04.03.21	10/21-815/ 10.03.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1617391, दिनांक-03.03.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XVI
17.	श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0	राज्य में जीविका के सभी कैडरों को पहचान पत्र देने, मानदेय भत्ता की राशि बढ़ाने, स्वयं सहायता समूहों को ICF/RF की राशि एक लाख करने, सामाजिक सुरक्षा लाभ, महिला कैडरों को मातृत्व अवकाश, मेडिकल क्लेम, 5 लाख डेथ क्लेम देने की माँग के संबंध में ।	26.02.21	06/21-681/ 05.03.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-439866, दिनांक- 09.04.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- XVII
18.	श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0	राज्य में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के स्वीकृत 2046 पदों के विरूद्ध मात्र 252 कार्यरत है । DRDA को पुनर्गठित कर रिक्त पदों पर कर्मियों का नियोजन करने अथवा जिला, जिला परिषद् / सभाहरणालय में समायोजित कर अनुभवी कर्मियों का लाभ सरकारी कार्यों में लेने की माँग के संबंध में ।	10.03.21	14/21-989 18.03.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-434899, दिनांक-05.04.2021 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XVIII

क्रम संख्या	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक/ दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
19.	श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0	नालन्दा जिला के तेलहाड़ा बाजार की आबादी लगभग 10 हजार है और नालन्दा जिला के पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है । जो जहानाबाद और नालन्दा के एकंगर संगम प्रखंड के 7 पंचायतों का व्यवसाय का केन्द्र है तथा पर्यटन स्थल भी है । तेलहाड़ा में प्रखंड बनाये जाने की मांग के संबंध में ।	19.03.21	20/21-1299 09.04.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1827278, दिनांक-09.06.2023 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XIX
20.	श्री कृष्णनन्दन पासवान, स0वि0स0	हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत "गायघाट" ग्यारह पंचायतों के मध्य स्थित है । जो प्रखंड मुख्यालय के तमाम शर्तें पूरी करती है जिसमें हरसिद्धि, तुरकौलिया के 9 एवं 2 पंचायतें आती है । जिससे वर्तमान प्रखंड की दूरी 18 किलोमीटर है । गायघाट को प्रखंड मुख्यालय बनाये जाने की मांग के संबंध में ।	16.03.21	17/21-1193/ 06.04.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1827287, दिनांक-09.06.2023 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XX
21.	श्री अरूण सिंह, स0वि0स0	थाना, रजिस्ट्री ऑफिस, अनुमंडलीय अस्पताल, पी0डब्लू0डी0 कार्यालय आदि सरकारी भवनों के बीच स्थित विक्रमगंज प्रखंड परिसर को सलेमपुर पोखरा पर बने नये भवन में स्थानांतरित किये जाने की चर्चा से व्यापक लोगों में भारी आक्रोश है । स्थानांतरण पर रोक और ब्लॉक परिसर को यथावत रखने की मांग के संबंध में ।	18.03.21	19/21-1369/ 13.04.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1826977, दिनांक-08.06.2023 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XXI
22.	श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0	महिलाओं के सशक्तीकरण में जीविका दीदियों की भूमिका है । फिर भी वे समस्याओं से जूझ रही है । जीविका दीदियों को पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा का लाभ, महिला कैडरों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश और हेल्थ इंश्योरेंस दिये जाने तथा मानदेय को दुगना किये जाने की मांग के संबंध में ।	23.03.21	21/21-1464/ 28.04.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-512920 दिनांक-04.08.2021 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XXII
23.	श्रीमती अरूणा देवी,स0वि0स0	नवादा जिला के पकरीबरावाँ प्रखंड अन्तर्गत सभी शर्तों को पूरा करने वाला धमौल बाजार को प्रखंड बनाने के संबंध में ।	19.03.21	20/21-1300/ 09.04.2023	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-1093320, दिनांक-19.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XXIII
24.	श्री अजीत कुमार सिंह,स0वि0स0	बक्सर जिलान्तर्गत जीविका बक्सर सदर के अन्तर्गत "धरोहर जीविका समूह" के कलस्टर फैसिलेंटर, सुगन्धि कुमारी को डी0पी0एम0, बी0पी0एम0, एवं बी0पी0एम0सी0सी0 द्वारा लम्बे समय से उत्पीड़न, अपमान एवं वेतन भुगतान न करने के मामले स्थानीय अखबारों व सोशल मीडिया पर आये है, त्वरित कार्रवाई की मांग के संबंध में ।	23.03.21	21/21-1465/ 28.04.2021	ग्रा0वि0 विभाग के ज्ञापांक-512894, दिनांक-04.08.21 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XXIV

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय उत्तरों की समीक्षा शून्यकाल समिति की बैठकों में की गयी । क्रम संख्या 05 पर श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० के शून्यकाल सूचना के संदर्भ में विभाग से प्राप्त उत्तर पर समीक्षोपरान्त इस सुझाव के साथ कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि मजदूरों के लिये जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है वह उसे मिलता रहे, जिससे कि मजदूरों का अधिकार बरकरार रहे, सभी कार्यान्वयन प्रतिवेदन को संतोषप्रद पाया है ।

निष्कर्ष

क्रम संख्या 01 से 24 पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय उत्तर के आलोक में क्रम संख्या 05 पर के उत्तर प्रतिवेदन के आलोक में दिये गये सुझाव के साथ निष्पादित किया जाता है ।

नीतीश मिश्रा,

सभापति,

शून्यकाल समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था0-15-80/2022-1080315

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री विद्या सागर केशरी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल संख्या-17/2022 की सूचना

अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज एक बड़ा प्रखंड है, लोगों को लंबी दूरी तयकर प्रखंड कार्यालय आने-जाने कार्यों का अधिकतम भार एवं निष्पादन की गति धीमी होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इसी प्रखंड के सिमराहा बाजार को नया प्रखंड बनाने की मांग सदन से करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय से सिमराहा बाजार का संपर्क सड़क काफी अच्छा है । वर्तमान में सिमराहा बाजार से फारबिसगंज प्रखंड आने-जाने में कोई असुविधा नहीं है एवं कम समय में ही वर्तमान प्रखंड मुख्यालय पहुँचा जा सकता है । अत: नये प्रखंड बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

परिशिष्ट-II

ज्ञापांक ग्रा0वि0-7(वि0स0)–31 / 2022–1509117

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री विनय कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में

शून्यकाल की सूचना

मेरे विधान सभा क्षेत्र के गुरूआ प्रखंड अंतर्गत गुरूआ पंचायत में अवस्थित सूर्य मंदिर के बगल में नई तालाब जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी है । अत: नई तालाब का शीघ्र जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराने हेतु राज्य सरकार से मांग करता हूँ ।

वक्तव्य

प्रश्नगत तालाब के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि गुरूआ प्रखंड अंतर्गत गुरूआ पंचायत में अवस्थित सूर्य मंदिर के बगल में नई तालाब के किनारे ईंट का मोटा दिवाल है, जिसके नवनिर्माण अथवा मरम्मती की आवश्यकता है । उक्त दिवाल का नवनिर्माण अथवा मरम्मती मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु अनुमेय नहीं है । मनरेगा अंतर्गत तालाब के जीर्णोद्धार हेतु योजना लिया गया है ।

परिशिष्ट-III

ज्ञापांक ग्रा0वि0-6प्रश्न/10–11/2022–1016858

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री संजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है । हमारे प्रदेश की जीविका दीदियों ने समाज में अपने महत्वपूर्ण योगदान के बल पर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये हैं ।

मैं जीविका दीदियों का मानदेय कम-से-कम 10,000 (दस हजार) करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

बिहार राज्य में लगभग 1.25 करोड़ महिलाएँ 10.25 लाख से ज्यादा गठित समूहों की सदस्य हैं। । स्वयं सहायता समूह एक तरह का सामुदायिक संगठन है जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से संबद्ध सदस्यों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण करना है । इस उद्देश्य के साथ सामुदायिक संगठन के द्वारा कार्य किया जाता है । ग्रामीण महिलाएँ अपनी स्वेच्छा से समूह की सदस्य बनती हैं तथा नियमित बचत करती हैं । स्वयं सहायता समूह का गठन पंचसूत्र (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन-देन, नियमित वापसी, नियमित लेखा संधारण) के अवयवों पर आधारित है । इसी तर्ज पर समूहों का क्षमतावर्द्धन किया जाता है और पूँजी का उपयोग स्वरोजगार बढ़ाने एवं आजीविका के अन्य संबंधित पहलुओं पर करने हेतु सदस्यों द्वारा किया जाता है । समूह से जुड़ी महिलाओं की जीविका दीदी के रूप में जाना जाता है । ये महिलाएँ स्वेच्छा से समूह से जुड़ती हैं एवं इसका संचालन करती है ।

अत: इस संदर्भ में जीविका दीदियों को 10,000 (दस हजार) मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

परिशिष्ट-IV

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था0-15-55/2022-1438195

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री अनिल कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 32/2021

"सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा के बथनाहा ब्लॉक पर 21 पंचायतों का भार है एवं आमजनों को ब्लॉक आने-जाने में काफी दूरी तय करना पड़ता है । सहीयारा पंचायत जो विधान सभा के बीचों-बीच पड़ता है, को प्रखंड बनाने का मांग करता हूँ ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्रखंड सृजन के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-V

ज्ञापांक ग्रा0वि0-7(वि0स0)–30 / 2022–968179

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री गोपाल रविदास, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में

शून्यकाल की सूचना

मनरेगा में 200 दिन और 600 रुपये लागू करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

ज्ञातव्य है कि मनरेगा योजना एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के तहत संचालित है । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से अन्यून गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मनरेगा अंतर्गत कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी की दर सभी राज्यों के लिये संशोधित कर अधिसूचित किया जाता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिये मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी 210 (दो सौ दस) रुपये अधिसूचित है । भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये संशोधित दरों की सूची में अधिकतम 333 (तीन सौ तैंतीस) रुपये सिक्किम (03 ग्राम पंचायतें यथा-ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन) के लिये अधिसूचित है । उक्त क्रम में मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के मजदूरी को दर में अन्य राज्यों के सापेक्ष बिहार राज्य के लिये समुचित वृद्धि किये जाने हेतु भारत सरकार के अनुरोध किया गया है ।

साथ ही विभाग द्वारा श्रम-समय-गति (Work-Time-Motion) पर अध्ययन उपरांत प्राप्त रिपोर्ट पर तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर को प्रति सात घंटा काम के लिये मिट्टी के साथ विभिन्न लीड एवं लिफ्ट के लिये पूर्व से निर्धारित दरों को संशोधित किया गया है । उक्त आलोक में मनरेगा अंतर्गत देय मजदूरी पर कार्य के घंटों को कम कर दिया गया है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत विषय भारत सरकार के संज्ञान में है तथा राज्य सरकार भी संवेदनशील है ।

परिशिष्ट-VI

ज्ञापांक ग्रा0वि0-5/प्र०आ०यो०(वि0स0शून्य)–104–48/2022–1035368

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0 से 17वें बिहार विधान सभा के 5वें सत्र में प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2014 में की गयी थी । इनका मानेदय 19720 रुपये है जो अन्य इनके अन्य समकक्ष योग्यताधारी से बहुत कम है ।

अत: अन्य समकक्ष में अनुरूप इनका 50,000 रुपये वेतनमान निर्धारित करने की मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अनुश्रवण कार्य हेतु संविदा पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक एवं लेखा सहायक का नियोजन वर्ष 2014 में किया गया था । संबंधित कर्मियों का मानदेय बी०आर०डी०एस० में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर बी०आर०डी०एस० के पत्रांक 1395, दिनांक 8 नवम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) के आधार पर किया गया है । इसके अनुसार ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का दिनांक 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी कुल मानदेय 20792 रुपये है । संबंधित कर्मियों का वार्षिक वेतन वृद्धि सहित अन्य भत्तों को मिलाकर वर्तमान में कुल अधिकतम मानदेय 24642 रुपये है ।

परिशिष्ट-VII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-08(वि0स0)-03 / 2022-1034413

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्रीमती नीतु कुमारी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर

भारत सरकार के पत्रांक J-11011/11/2015-RE-I (344831), दिनांक 18 अप्रील, 2016 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न प्रखंडों में बी०एफ०टी० की संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई है ।

निवेदन है कि मनरेगा कार्यों में गुणवक्ता हेतु संविदा पर नियुक्त बी०एफ०टी० को विभागीय दायित्व से अवगत कराने के साथ-साथ नियमित वेतन देने की सदन से मांग करती हूँ ।

<u>सरकार का वक्तव्य</u>

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर 2016-17 के अनुसूची 2.5.6 के अनुसार जो अप्रैल में लागू है में मनरेगा के अंतर्गत अनुमान्य कार्यों के लिये प्राक्कलन निर्माण में सहयोग ले-आउट, पर्यवेक्षण, मांपीपुस्त में प्रविष्ट एवं सर्वेक्षण के लिये अभियंताओं की कमी को ध्यान में रखते हुये रखे Bare Foot Technician (BFT) रखे जाने का प्रावधान है, जिसके आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सभी जिलों में Bare Foot Technician (BFT) के पदस्थापना का निर्णय लिया गया । उप-विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा BFT को अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिये रखा जा रहा है, जिसे आवश्यकता एवं उसके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है ।

BFT के कर्तव्य, दायित्व, पारिश्रमिक एवं पदस्थापन के लिये विभागीय पत्रांक 304887, दिनांक 21 मार्च, 2017 से विस्तृत दिशा-निर्देश जिलों को निर्गत किये गये हैं ।

BFT के वर्तमान में रु० 6000.00 की दर से पारिश्रमिक भत्ता का भुगतान किया जाता है एवं इसे पुनरक्षित किया जा रहा है । BFT के मानदेय का भुगतान मनरेगा अंतर्गत सामग्री मद में आवंटित राशि (योजना पर व्यय की गई राशि का 1%) से की जाती है ।

परिशिष्ट-VIII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3(स्था०)–19–84 / 2022–1093320

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्रीमती अरूणा देवी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल संख्या 21 / 2022 की सचूना

नवादा जिले के पकरीबरावाँ प्रखंड मुख्यालय से 12 किलो मीटर दूर सभी शर्तों को पूरा करने वाला धमौल बाजार को प्रखंड का दर्जा देने की मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावाँ प्रखंड मुख्यालय से 12 कि०मी० की दूरी पर धमौल एक पुराना एवं बड़ा बाजार है, जो शेखपुरा एवं जमुई जिला के सीमा पर स्थित है ।

धमौल को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, नवादा से प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र (16 कॉलम में) में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-IX

ज्ञापांक ग्रा0वि0-5/प्र०आ०यो०(वि०स०शून्य)-104-60/2022-1175789

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सुश्री श्रेयसी सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

ग्रामीण क्षेत्रों में निहायत ही गरीब परिवार जिनका नाम आवास सूची में किसी कारण से दर्ज नहीं है, वैसे परिवारों को चिन्हित कर तत्काल प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं युक्त पक्के आवास के निर्माण हेतु केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है । इस योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो के आलोक में SECC-2011 के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक एवं वर्तमान में आवास प्लस सूची के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची से आवास का लाभ दिया जा रहा है ।

राज्य के वैसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ पाने के योग्य हैं, किन्तु इनका नाम सूची में शामिल नहीं है, उनका सर्वेक्षण के उपरांत आवास का लाभ देने हेतु आवास सॉफ्ट पर आवश्यक प्रावधान करने हेतु विभागीय पत्रांक 702170, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध किया गया है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वर्तमान प्रतीक्षा सूची से छूटे हुये सभी योग्य परिवारों तथा राज्य के AES प्रभावित प्रखंडों के सभी सुयोग्य परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास का लाभ देने हेतु राज्य प्रायोजित "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" कार्यान्वित है । योजना कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक 27/सी०, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 से सभी जिलों को दिये गये हैं ।

सरकार सभी आवास विहीन योग्य परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु कृतसंकल्पित है ।

परिशिष्ट-X

ज्ञापांक ग्रा0वि0-15(वि०स०)सूचना–12/2021–548138

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री मोहम्मद इजहार असफी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना

शून्यकाल

किशनगंज जिलान्तर्गत बरबट्टा हाट से वाया सौंथा, कजलामोनी रहमतपाड़ा जिला मुख्यालय जाने वाली मार्ग में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है । कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर बाजार में भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है ।

अत: मैं सरकार से उक्त मार्ग एवं स्थान पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण का मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता हेतु ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण का प्रावधान किया गया है । इस हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की आवश्यकता एवं इसके लिये उपलब्ध भूमि से संबंधित प्रस्ताव दिया जाना है । सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के उपरांत रख-रखाव भी ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है ।

किशनगंज जिलान्तर्गत बरबट्टा हाट से वाया सौंथा, कजलामोनी, रहमतपाड़ा जिला मुख्यालय जाने वाली मार्ग में उपर्युक्त भूमि का चयन एवं प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जायेगा ।

कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर बाजार में पंचायत भवन के सामने सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया गया है, जो कार्यरत है ।

परिशिष्ट-XI

ज्ञापांक ग्रा0वि0-6-प्रश्न/10–11/2021–512907

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

राज्य में जीविका के कैडर का मानदेय 750 से 3500 तक है, इसे बढ़ाकर 5000 से 10000 किया जाये एवं जीविका समूहों के साथ बैंक लिंकेज 50 हजार हैं, इसे एक लाख से 5 लाख तक बढ़ाने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

जीविका परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूहों एवं इनके परिसंघों के गठन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन उन्नयन का प्रयास किया जाता है । इन संगठनों के सम्यक संचालन एवं एतद् विषयक अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु समुदाय के स्तर पर सामुदायिक संगठनों द्वारा कार्य विशेष के लिये विभिन्न प्रकार के कैडरों का चयन किया जाता है । वस्तुतः स्वयं सहायता समूहों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सेवा प्रदान करने वाले कैडर भी प्रायः स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ ही हैं और उनके द्वारा समुदाय के हित में जो कार्य किये जाते हैं, उनमें समूह सदस्यों की भाँति स्वयं उनके हित भी जुड़े होते हैं । सामुदायिक संगठनों के कार्यों का निष्पादन कैडरों द्वारा अपने बाकी कार्यों के साथ-साथ किया जाता है । कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के एवज में स्वीकृत दर के आधार पर उनका मानदेय एवं अन्य जरूरी भत्तों तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी संबंधित सामुदायिक संगठनों द्वारा ही किया जाता है । सामुदायिक संगठनों द्वारा उनसे जुड़े कैडर के लिये नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है । सभी स्तरों के सामुदायिक संगठनों द्वारा किसी भी नीति के निर्धारण में स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाती है । संगठन की जरूरत एवं अस्तित्व को बरकरार रखते हुये ही नीति निर्धारण किया जाता है और सामुदायिक संगठनों द्वारा कैडरों के काम तथा अपनी आमदनी के आधार पर कैडर का मानदेय तय किया जाता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक की मार्गदर्शिका एवं राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटी की अनुशंसा के आधार पर विगत चार वर्षों से समूहों की योग्यता, क्षमता एवं कार्य प्रदर्शन के अनुरूप उनके पक्ष में बैंक लिंकेज की राशि को प्रथम बार 1.5 लाख रुपये (न्यूनतम), द्वितीय बार 3 लाख रुपये तक तथा तृतीय बार 6 लाख तक भुगतान का प्रावधान किया गया है ।

परिशिष्ट-XII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०-15-28/2021-1603440

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या -03/2021

कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड की चापाखोर, नलसर, हरनारोई, धरमपुर, शिवानन्दपुर, आबादपुर, लगुआ, बेलवा, दासग्राम, शिकारपुर, भवानीपुर पंचायतों की दो लाख की आबादी प्रखंड मुख्यालय से 25-30 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है ।

मैं सरकार द्वारा पूर्व प्रस्तावित आबादपुर क्षेत्र को प्रखंड घोषित करने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के "आबादपुर" को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र (16 कॉलम में) में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-XIII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०–15–59/2023–1827230

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री विजय कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या -34/2022–170

प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड के विकास का नियंत्रण एवं प्रशासनिक अधिकार सहित पंचायतों के विकास कार्य का नोडल पदाधिकारी पूर्व की तरह बहाल हो ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी ही पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी नामित थे, किन्तु राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बी०पी०आर०ओ०) को पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी घोषित किया गया है । प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बी०पी०आर०ओ०) को पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी घोषित किये जाने के बावजूद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंडस्तरीय विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

परिशिष्ट-XIV

ज्ञापांक ग्रा0वि0-5/ई०आ०यो०(वि०स०शून्यकाल०)–104–32/2021–457858

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

पूर्णियाँ जिला में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लक्ष्य काफी कम है, जबकि मार्च, 2021 तक आवास निर्माण का गृह प्रवेश करने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित है ।

अत: मैं सरकार से पूर्णियाँ जिला में आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करने हेतु मिशन गृह प्रवेश की तिथि विस्तार करने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रथम किस्त भुगतान प्राप्त आवासों को मार्च, 2021 तक पूर्ण कराने हेतु मिशन गृह-प्रवेश संचालित है । कतिपय जिलों द्वारा इस हेतु अतिरिक्त समय की मांग संबंधी अनुरोध के आलोक में प्रथम किस्त भुगतान प्राप्त अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु विभागीय पत्रांक 433185, दिनांक 1 अप्रील, 2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा 15 अप्रैल, 2021 तक की अवधि विस्तारित की गई है ।

परिशिष्ट-XV

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०-15-61/2023-1826972

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री भीम कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त शून्यकाल संख्या 20/2021 की सूचना

औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज, गोह, हसपुरा, ओबरा एवं औरंगाबाद प्रखंडों को पुनर्गठित करते हुये पौथू प्रखंड के गठन का प्रस्ताव 2010 में जिला से सरकार को भेजा गया जो आजतक लंबित है ।

अत: उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये पौथू प्रखंड का गठन किया जाये ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा पौथू को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में प्रस्ताव को एतदर्थ गठित सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा विभिन्न प्रखंड एवं अंचल को भौगोलिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्षेत्राधिकार एक समान किये जाने तथा राजस्व जिलों में आवश्यकता अनुरूप सीमाओं में परिवर्तन किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में प्रस्तावों को पूर्ण औचित्य के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

उक्त के आलोक में नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-XVI

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०-15-37/2021-1617391

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री पवन कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 10/2021

भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड की भौगोलिक बनावट के अनुसार सनोखर इस प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र का एक विकसित बाजार है और प्रखंड बनने की अर्हता रखता है, जबकि पूर्व में तत्कालीन सरकार द्वारा घोषणा किया गया था ।

अतः सरकार से सनोखर को प्रखंड बनाने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर से सन्हौला प्रखंड के सनोखर को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-XVII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-6-प्रश्न/10-05/2021-439866

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय स0वि0स0 से द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना

"राज्य में जीविका के सभी कैडरों को पहचान-पत्र देने, मानदेय, भत्ता की राशि बढ़ाने, स्वयं सहायता समूहों को ICF/RF की राशि एक लाख करने सामाजिक सुरक्षा लाभ, महिला कैडरों को मातृत्व अवकाश, मेडिकल क्लेम, 5 लाख कैश क्लेम देने की राज्य.सरकार से मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुतः स्वयं सहायता समूहों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सेवा प्रदान करने वाले कैडर भी मूलतः स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ ही हैं और उनके द्वारा समुदाय के हित में जो कार्य किये जाते हैं, उनमें समूह सदस्यों की भाँति स्वयं उनके हित भी जुड़े होते हैं। कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के एवज में उनका मानदेय एवं अन्य जरूरी भत्तों का भुगतान किया जाता है।

सामुदायिक संगठनों से जुड़े कैडर का कार्य पूर्णकालिक नहीं है। यह आपसी सहयोग की अवधारणा पर आधारित है। मानदेय अथवा भत्ता संबंधी मुद्दों में असहमति होने पर सामुदायिक संगठनों के साथ कार्य करना बाध्यकारी नहीं है। उच्चतर सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठन/संकुल संघ) द्वारा सामुदायिक संगठनों एवं उनसे जुड़े कैडर के लिये नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है। सभी स्तरों के सामुदायिक संगठनों द्वारा किसी भी नीति के निर्धारण में स्थायित्व (Sustainability) एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। संगठन की जरूरत एवं अस्तित्व को बरकरार रखते हुये ही नीति निर्धारण (यथा पहचान-पत्र निर्गत करना, मानदेय एवं भत्ता की राशि संबंधित निर्णय इत्यादि) किया जाता है।

स्वयं सहायता समूहों को RF/ICF (Revolving Fund परिक्रमी निधि/ Initial Capitalisation Fund प्रारंभिक पूंजीकरण निधि) की राशि वर्तमान में क्रमशः 15000 रुपये एवं 50000 रुपये देने का प्रावधान है। प्रारंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalisation Fund) की राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 से रु० 1,10,000 देने का प्रावधान कर लिया गया है।

परिशिष्ट-XVIII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-6-प्रश्न/10-10/2021-434899

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

राज्य में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) के स्वीकृत 2046 पदों के विरुद्ध मात्र 252 कार्यरत है ।

मैं सरकार से डी०आर०डी०ए० को पुनर्गठित कर रिक्त पदों पर कर्मियों का नियोजन करने अथवा जिला परिषद्/ समाहरणालय में समायोजित कर अनुभवी कर्मियों का लाभ सरकारी कार्यों में लेने का मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का जिला स्तर पर पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं निरीक्षण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है । दिनांक 1 अप्रील, 1999 से लागू केन्द्र प्रायोजित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन संबंधी मार्ग निर्देश, 2002 द्वारा निर्धारित की गई है । इस मार्ग निर्देश की कंडिका-2 में वर्णित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्मिक संरचना एवं कार्मिक नीति के प्रावधानों के अनुरूप योजना मद में राज्य के सभी जिलों के लिये कुल 2046 पद सृजित किये गये हैं । चूँकि ये पद अस्थायी रूप से सृजित है, अत: इनका प्रतिवर्ष अवधि विस्तार किया जाता है । केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इस पर होने वाले व्यय का 60:40 के अनुपात में क्रमश: केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पुनर्गठित करने का निदेश नहीं है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की नयी मार्गदर्शिका की कंडिका 4.2 में उल्लेखित है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का स्थायी कर्मी वर्ग नहीं होगा । सम्प्रति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अनुबंध पर कार्यरत कर्मी योजना विशेष के लिये कार्यरत है । भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पुनर्गठित करने अथवा अनुबंध पर नियुक्त इन कर्मियों का अन्यत्र समायोजन करने का निदेश नहीं है ।

परिशिष्ट-XIX .

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०–15–60/2023–1827278

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री राकेश कुमार रौशन, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त शून्यकाल संख्या 20/2021 की सूचना

नालन्दा जिला के तेल्हाड़ा बाजार की आबादी लगभग 10 हजार है और यह नालन्दा जिला के पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है जो जहानाबाद और नालन्दा के एकंगरसराय प्रखंड के 7 पंचायतों का व्यवसाय का केन्द्र है तथा पर्यटन स्थल भी है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तेल्हाड़ा में प्रखंड बनाया जाये ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड से ग्राम पंचायत राज तेल्हाड़ा मात्र 05-06 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है एवं तेल्हाड़ा पंचायत से मात्र 2 कि०मी० की दूरी पर ही जहानाबाद जिला की सीमा प्रारंभ होती है । ऐसी स्थिति में तेल्हाड़ा पंचायत को एक अलग प्रखंड बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

परिशिष्ट-XX

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०-15-63/2023-1827287

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री कृष्णनन्दन पासवान, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल संख्या 17/2021 की सूचना

हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ''गायघाट'' ग्यारह पंचायतों के मध्य स्थित है जो प्रखंड मुख्यालय के तमाम शर्तों पूरी करती है, जिसमें हरसिद्धि, तुरकौलिया के 9 एवं 2 पंचायत आती है, जिससे वर्तमान प्रखंड की दूरी 18 किलो मीटर है ।

मैं मांग करता हूँ कि ''गायघाट'' को प्रखंड मुख्यालय बनाया जाये ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत गायघाट बाजार से हरसिद्धि प्रखंड की दूरी 12-13 कि०मी० है । वर्तमान प्रखंड मुख्यालय में आवागमन की सुविधा का विकास एवं पक्की सड़क की उपलब्धता के कारण आने-जाने में कठिनाई नहीं होती है । पर्याप्त परिवहन व्यवस्था के कारण गायघाट से हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय पहुँचने में अधिकतम 20-30 मिनट का समय लगता है ।

हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्मित प्रखंड सूचना प्रौद्योगिक केन्द्र के साथ अन्य सभी विभागों हेतु आधारभूत संरचना मौजूद है । साथ ही अधिकांश पंचायतों के लिये उपयुक्त है ।

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत गायघाट बाजार को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

परिशिष्ट-XXI

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०-15-69/2023-1826977

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री अरूण कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल संख्या 19/2021 की सूचना

थाना रजिस्ट्री ऑफिस, अनुमंडलीय अस्पताल, पी०डब्लू०डी० कार्यालय आदि सरकारी भवनों के बीच स्थित विक्रमगंज प्रखंड परिसर को सलेमपुर पोखरा पर बने नये भवन में स्थानांतरित किये जाने की चर्चा से व्यापक लोगों में भारी आक्रोश है । स्थानांतरण पर रोक और ब्लॉक परिसर को यथावत रखने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के संरचनात्मक ढ़ाचा के सुदृढ़ीकरण एवं विकासात्मक कार्यों में सुविधा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, विक्रमगंज का निर्माण भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया गया है । भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा नवनिर्मित प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का संचालन किया जा रहा है ।

परिशिष्ट-XXII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-6-प्रश्न/10-13/2021-512920

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

महिलाओं के सशक्तीकरण में जीविका दीदियों की भी भूमिका है, फिर भी वे समस्याओं से जूझ रही है । जीविका दीदियों को पहचान-पत्र सामाजिक सुरक्षा का लाभ कैडरों को विशेष अवकाश, मातृत्व-अवकाश और हेल्थ इंश्योरेंस दिये जाने तथा मानदेय को दुगुना किये जाने की मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

जीविका परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूहों एवं इनके परिसंघों के गठन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन उन्नयन का प्रयास किया जाता है ।

परियोजना का प्रयास है कि महिलाओं का सामुदायिक संगठन स्व-प्रबंधित स्वरूप में भविष्य में सामाजिक समरसता एवं आर्थिक विकास की धुरी बन सके ।

वस्तुतः स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों की सदस्य महिलाएँ ही जीविका दीदियाँ हैं । ये जीविका दीदियाँ या कैडर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के कर्मी नहीं है ।

जहां तक स्वास्थ्य बीमा का प्रश्न है, जीविका द्वारा ग्राम संगठनों के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का प्रावधान है जिससे समूह से जुड़े सभी परिवारों की स्वास्थ्य विषयक आकस्मिकताओं के लिये ग्राम संगठन स्तर पर राशि की तत्काल उपलब्धता का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त समुदाय सदस्यों के बीमा के अंतर्गत आच्छादन हेतु जीविका के स्तर से निरंतर अभियान चलाये जाते हैं जिसके तहत सदस्य महिलाएँ बीमा सुरक्षा से लाभान्वित होती है ।

वस्तुतः स्वयं सहायता समूहों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सेवा प्रदान करने वाले कैडर भी मूलतः स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ ही हैं और उनके द्वारा समुदाय के हित में जो कार्य किये जाते हैं, उनमें समूह सदस्यों की भांति स्वयं उनके हित भी जुड़े होते हैं । सामुदायिक संगठनों के कार्यों का निष्पादन कैडरों द्वारा अपने बाकी कार्यों के साथ-साथ किया जाता है । कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के एवज में स्वीकृत दर के आधार पर उनके मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी संबंधित सामुदायिक संगठनों द्वारा ही किया जाता है । सामुदायिक संगठनों से जुड़े कैडर का कार्य पूर्णकालिक नहीं है । यह उसी सहयोग की अवधारणा पर आधारित है । मानदेय अथवा प्रोत्साहन राशि संबंधी मुद्दों में असहमति होने पर सामुदायिक संगठनों के साथ कार्य करना उनके लिये बाध्यकारी नहीं है ।

सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठन/संकुल संघ) द्वारा सामुदायिक संगठनों एवं उनसे जुड़े कैडर के लिये नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है । सभी स्तरों के सामुदायिक संगठनों द्वारा किसी भी नीति के निर्धारण में स्थायित्व (Sustainability)एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाती है । संगठन की जरूरत एवं अस्तित्व को बरकरार रखने की दृष्टि से इस विषय में नीति निर्धारण (यथा पहचान पत्र निर्गत करना, मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि संबंधित निर्णय इत्यादि) संबंधित सामुदायिक संगठनों द्वारा ही किया जा सकता है ।

परिशिष्ट-XXIII

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3/स्था०–19–84/2022–1093320

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्रीमती अरूणा देवी, माननीय स0वि0स0 से द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना संख्या 21/2022 की सूचना

नवादा जिले के पकरीबरावॉ प्रखंड मुख्यालय से 12 किलो मीटर दूर सभी शर्तों को पूरा करने वाला धमौल बाजार को प्रखंड का दर्जा देने के मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावॉ प्रखंड मुख्यालय से 12 कि०मी० की दूरी पर धमौल एवं पुराना एवं बड़ा बाजार है, जो शेखुपरा एवं जमुई जिला के सीमा पर स्थित है । धमौल को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, नवादा से प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र (16 कॉलम में) में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-XXIV

ज्ञापांक ग्रा0वि0-6-प्रश्न/10-12/2021-512894

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री अजित कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना

बक्सर जिलान्तर्गत जीविका बक्सर सदर के अंतर्गत 'धरोहर जीविका समूह' के क्लस्टर फैसिलिटेटर सुगन्धि कुमारी को डी०पी०एम०, बी०पी०एम० एवं सी०सी० द्वारा लम्बे समय से उत्पीड़न, अपमान व वेतन भुगतान न करने के मामले स्थानीय अखबारों व सोशल मीडिया पर आये हैं । त्वरित कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

सुगन्धि कुमारी, धरोहर संकुल संघ में पूर्व में क्लस्टर फैसिलिटेटर के पद पर समुदाय द्वारा चयनित होकर कार्य कर रही थी । सुगन्धि कुमारी के असंतोषपूर्ण कार्य एवं असहिष्णु व्यवहार के कारण संकुल संघ द्वारा उन्हें कार्यमुक्त किया गया । किसी भी सामुदायिक पेशेवर के चयन, मानदेय निर्गत करने उसके कार्य की समीक्षा एवं कार्यमुक्त करने का अधिकार सामुदायिक संगठन को है ।

संकुल संघ द्वारा कार्यमुक्त किये जाने के बाद से सुगन्धि कुमारी द्वारा प्रखंड जिला एवं राज्य कार्यालय में आकर कई बार अभद्र व्यवहार किया गया । प्रखंड एवं जिला स्तर पर भी कई अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया गया । सुगन्धि कुमारी द्वारा अनधिकृत रूप से मानदेय की मांग की जाती रहती है ।

उनके मानदेय का चेक संकुल संघ द्वारा निर्गत भी किया गया परन्तु उनके द्वारा उसे लौटा दिया गया । संकुल संघ में पुनः दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को चेक संख्या 462818 के द्वारा नवम्बर, 2019 तक का मानदेय 44500 रु० निर्गत किया जिसे सुगन्धि कुमारी द्वारा स्वीकार किया गया ।

इससे स्पष्ट है कि सुगन्धि कुमारी के वेतन एवं लंबित देयता का भुगतान सामुदायिक संगठन द्वारा किया जा चुका है एवं उन्हें किसी प्रकार से उत्पीड़ित अथवा अपमानित नहीं किया गया है ।

बि0स0मु0 42-(एल0ए0), 2023-24 डी0टी0पी0-300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023